न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 75/25 GCMS NO 2025/118

1. रामकन्या बेवा घनश्याम
2. रामभजन पुत्र घनश्याम
3. रामोतार पुत्र घनश्याम
4. गुडडी पुत्री घनश्याम
5. लक्षित पुत्र पवन उम्र 5 वर्ष नाबालिंग
6. कृष्णा पुत्र पवन उम्र 8 वर्ष नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता अंजू बेवा पवन
7. अंजू बेवा पवन समस्त जातियान जाट निवासीयान अक्षयगढ तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. बाबू पुत्र सुआ जाति जाट निवासी अक्षयगढ तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार खण्डार।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय मु0नं0 101/22 दिनांक 11.5.2023 न्यायालय उपजिला कलक्टर, खण्डार)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम बैष्णव
अभिभाषक रैस्पो0 श्री रमेश चंद गोयल

दिनांक 27.10.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.5.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, खण्डार पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 194 रकबा 3 बीघा व खसरा न0 192 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा के ग्राम अक्षयगढ मे स्थित है। जो प्रार्थी के हिस्से की होने से उस पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी आबादी के खसरा न0 337 से चलकर खसरा न0 343 के मेड के पास बने रास्ते से चल खसरा न0 172 गैर मुमकिन तलाई व खसरा न0 193 के बीच मे बने रास्ते से होकर अपने खातेदारी की भूमि मे आता जाता रहा है। उक्त रास्ता खसरा न0 161 मे दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा न0 193 व 173 के बीच मे पडती है। जो प्रार्थी को अपने खेतो पर जाने से रोक रहे है तथा तार फेसिंग कर रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने खेतो पर आने जाने हेतु खसरा न0 193 मे से रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु उक्त खसरा न0 193 मंदिर माफी की भूमि होने के कारण उसके से रास्ता दिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जाने हेतु इंकार कर दिया गया परन्तु प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर खसरा न0 173 की मेड पर से सबसे नजदीक रास्ता होना पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है। खसरा न0 173 की मेड पर से रास्ता सुविधाजनक होना तथा अन्य कोई रास्ता बैकल्पिक नही होने से खसरा न0 173 मे से 15 फीट रास्ता दिया जावे प्रार्थी रास्ते के प्रयोजनार्थ काम आने वाली भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है तथा भूमि नही लेने की सूरत मे भूमि की डी एल सी दर की प्रचलित दर से दो गुना राशि का भुगतान अप्रार्थी/खसरा न0 173 के खातेदार को देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा न0 194 व 192 पर आने जाने हेतु खसरा न0 173 की मेड से 15 फीट रास्ता दिया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 के अन्य के द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट ने अपनी बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायलय का निर्णय मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। क्योकि तहसीलदार खण्डार ने अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस रिपोर्ट तैयार करने के सबंध मे नही दिया है क्योकि अपीलांट की मृत्यु दिनांक 7.2.23 को हो चुकी है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा घनश्याम के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो मृतक के विरूद्व आदेश है। जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। क्योकि मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश की कोई अधिक महत्ता एवं प्रभाव नही होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है इस कारण अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश प्रारंभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी मे आता है। जिस पर किसी प्रकार की मियाद लागू नही होती है। इस प्रकार के आदेश का किसी भी समय सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी जाकर रद्व कराया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक तरफा मे किया गया है इस कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को समय पर नही हो सकी। सर्वप्रथम दिनांक 3.6.25 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के कारण जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अपील बहस मे तर्क दिया कि प्रार्थी/रेस्पो0 को अपने खेत आराजी खसरा न0 192 व 194 पर आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड मे पूर्व से कोई बैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है एवं प्रार्थी आबादी के खसरा न0 337 से चलकर खसरा न0 343 के मेड के पास बने रास्ते से चल खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न0 172 गैर मुमकिन तलाई व खसरा न0 193 के बीच मे बने रास्ते से होकर अपने खातेदारी की भूमि मे आता जाता रहा है। उक्त रास्ता खसरा न0 161 मे दर्ज रिकार्ड है। रेस्पो/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा न0 193 व 173 के बीच मे पडती है। भूमि खसरा न0 173 के खातेदार द्वारा प्रार्थी को आवागमन से रोकने हेतु तार फेसिंग कर रास्ता अवरूद्व किये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 251 ए के प्रावधानो के तहत ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानो के तहत ही मौके की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर से प्राप्त की जाकर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सबसे निकटतम व सुविधाजनक रास्ता अपीलांट के खेत खसरा न0 173 की मेड से माना है। जिसके आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के काम आने वाली भूमि 4680 वर्गफीट की डी एल सी दर की दो गुना राशि अपीलांट/अप्रार्थी के खाते मे जमा कराने की शर्त पर रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश दिये गये है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी घनश्याम की मृत्यु हो गई थी । जिसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि कानूनन यह प्रावधान है कि यदि दौराने प्रकरण किसी पक्षकार की मृत्यु हो ती है उसके मरने की सूचना उसके वारिसान या प्रतिनिधी द्वारा समय पर न्यायालय को देनी होती है। अपीलांट द्वारा अब अपील के माध्यम से मृतक घनश्याम के वारिसान की ओरं से अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा तत्समय मृतक घनश्याम के मरने की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय को उपलब्ध नही कराई गई है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन कानूनन साबित नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो के तहत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रास्ता एक अति आवश्यक उपचार है जो किसी जोत धारक को उसके खेत पर पहुॅच एवं कृषि यंत्रो को लाने ले जाने के लिए आवश्यक होता है। प्रार्थी/रेस्पो0 को अपने खेतो पर पहुॅच हेतु भूमि खसरा न0 173 की मेड के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही होने के तथ्य को तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट मे माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी की आराजीयात खसरा न0 192 व 194 वाके ग्राम अक्षयगढ पर आने जाने हेतु 15 फीट रास्ते की मांग खसरा न0 193 मे से रास्ता चाहने हेतु पेश किया गया था। परन्तु उक्त आराजी मंदिर माफी की आराजी होने के कारण उसमे से रास्ता दिया जाना संभव नही होने एवं पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के खेत खसरा न0 173 की मेड पर से लघुतम दुरी का रास्ता अपनी रिपोर्ट मे अंकित किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खेत खसरा न0 173 की मेड पर से रास्ता प्रदान किया गया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस जोतधारक की भूमि मे से रास्ता दिया गया है उसे किसी प्रकार का नोटिस सुनवाई हेतु नही दिया गया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जिसकी पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से होती है इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मृतक घनश्याम के दिनांक 7.2.23 को हो जाने के उपरान्त दिनांक 11.5.23 को पारित किया गया है। इस प्रकार किसी मृतक व्यक्ति के खिलाफ पारित निर्णय प्रारंभ से ही शून्य निर्णय की श्रेणी मे आता है। उपरोक्त विवचेन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को मृतक घनश्याम के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर उनको साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना विधि सम्मत है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार के प्रकरण संख्या 101/22 मे पारित निर्णय दिनांक 11.5.23 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक घनश्याम के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात की मौके की रिपोर्ट उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार करवाई जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 24.11.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर